(425)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी/ /अध्यक्ष/ 2013 R-3800-PBR/12

1. रतनसिंह पुत्र श्री हीरालाल
2. बहादुरसिंह
3. रामराजसिंह
4. राजकुमार सिंह पुत्रगण रतनसिंह निवासीगण ग्राम मिरगावली तहसील ग्यारसपुर जिला बिदिशा ....प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमती फुलबाई पत्नी श्री बाबूलाल निवासी ग्राम चिडोरियॉ तहसील व जिला बिदिशा ....प्रतिप्रार्थिनी

म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्यारसपुर के प्रकरण कमांक –52/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.10.2012 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी कमांक–1 के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम मिरगावली में सर्वे कमांक 38/3 रकवा 1.960 हे0, सर्वे कामंक 195 रकवा 1.810 हे0, सर्वे कामक 196 रकवा 0.394 हे0 कुल रकवा 4.172 हे0 भूमि थी । जो कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम से बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज है । प्रतिप्रार्थी कमांक–1 ने म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 178 में हुये संशोधन धारा 178 (क) के अंतर्गत उक्त भूमि का बटवारा प्रार्थी कमांक–2 लगायत 4 के हक में निष्पादित कराये जाने बावत् कार्यवाही प्रांरभ की । और तहसीलदार द्धारा प्रकरण में विधियत इश्तहार जारी करते हुये दिनांक 25.01.2012 को उक्त भूमि का बटवारा स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया और राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि प्रतिप्रार्थी कमांक–2 लगायत 4 के हक में बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज हुई तथा मौके पर प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है । तहसीलदार द्धारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2012 के निर्णय के विरूद्ध प्रतिप्रार्थिनी ने दिनांक 08.05.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और अपील के साथ अवधि अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया प्रार्थीगणों को सूचना–पत्र जारी होने पर प्रार्थीगण न्यायालय

XXIX(a)-BR(H)-11

425

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3800-पीबीआर/12 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	